



सबगुरु न्यूज

(राष्ट्रीय द्विभाषीय पाक्षिक)

मो.9887907277 Email ID sabgurunews@gmail.com Website https://www.sabguru.com

सम्पादक - विजय सिंह

वर्ष 4

अंक 4

अजमेर, सोमवार 10 अगस्त 2026

मूल्य 5 रुपए

पृष्ठ-4

तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि हमारी आन, बान और शान : जेपी नड्डा

जयपुर में निकाली तिरंगा रैली हर घर तिरंगा

जयपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहा है कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश की आन, बान, शान और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2022 में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशवासियों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर विविधता में एकता और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश दिया।

नड्डा ने रविवार को यहां तिरंगा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा हर भारतीय के दिल में बसना चाहिए और इसके सम्मान एवं गौरव की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को और मजबूत करने की दिशा में प्रिवेंशन ऑफ इंसेल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान भारत की शान हैं तथा इनके अपमान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने देशवासियों से वीर सपूतों की कुर्बानियों से प्राप्त आजादी



और तिरंगे की गरिमा को सदैव बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि तिरंगा हमारे स्वाभिमान, राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव के तहत प्रारंभ की गई तिरंगा यात्रा जन-जन के अभियान के रूप में नई पीढ़ी में राष्ट्र भावना को सशक्त करने का माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। हर घर लहराता हुआ तिरंगा राष्ट्र के प्रति हमारे प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति है। लेकिन यह सम्मान हमारे घरों के साथ ही हमारे दिलों में भी होना चाहिए। इसकी सार्थकता इसी में है कि हम राष्ट्रीय चेतना के आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में भी

उतारें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। यह दिवस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का अवसर है। उनके त्याग और तपस्या के फलस्वरूप ही आज हमारे हाथ में यह तिरंगा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा संविधान के आदर्श, एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगे का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। पहली बार 15 अगस्त को फहराया गया तिरंगा राजस्थान में बना था। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के क्षणों का स्मरण करते हुए कहा कि उस समय विद्यार्थियों की टोली हाथों में तिरंगा थामे 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा'



गीत के उद्घोष के साथ गलियों से गुजरती थी। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश ने गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर आतंकवाद और नक्सलवाद के खाल्ते एवं दुनिया में भारत के बढ़ते गौरव तक अभूतपूर्व बदलाव देखा है। आज का नया भारत दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले ढाई वर्षों से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार का संकल्प है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान हो। इससे पहले नड्डा और शर्मा ने अल्बर्ट हॉल से हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव

देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं डॉ. प्रेमचंद बैरवा, भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मदन राठौड़, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं आमजन मौजूद थे।

अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक रिमझिम वर्षा के मध्य निकली इस रैली में नड्डा और शर्मा हाथ में तिरंगा थामे शामिल हुए। यात्रा के दौरान शहरवासियों ने कई स्थानों पर पुष्पवर्षा कर रैली का स्वागत एवं अभिनंदन किया। नड्डा और शर्मा ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को नमन किया। उन्होंने पुष्पचक्र अर्पित कर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क में व्यापक बढ़ोतरी

जयपुर। राजस्थान में राज्य सरकार ने सरकारी अधिवक्ताओं के लिए शुल्क में व्यापक बढ़ोतरी का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी), सरकारी अधिवक्ता सहित विभिन्न विधि अधिकारियों के पेशी, बहस और विधिक सलाह शुल्क में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार महाधिवक्ता का सलाहकार अनुबंध शुल्क

बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए मासिक और अतिरिक्त महाधिवक्ता सलाहकार अनुबंध शुल्क एक लाख 25 हजार रुपए मासिक कर दिया गया है। सरकारी विधिक सलाहकार को 43 हजार, अतिरिक्त सरकारी विधिक सलाहकार को 37 हजार, उप सरकारी विधिक सलाहकार को 33 हजार और सहायक सरकारी विधिक सलाहकार को 26 हजार रुपए मासिक सलाहकार अनुबंध शुल्क मिलेगा। सूत्रों ने

बताया कि पेशी शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। महाधिवक्ता को प्रति मामले 15 हजार रुपए और अतिरिक्त महाधिवक्ता को आठ हजार रुपए प्रति मामले मिलेंगे। सरकारी विधिक सलाहकार को यह शुल्क तीन हजार रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पेशी शुल्क भी बढ़ाया गया है। महाधिवक्ता को 25 हजार, अतिरिक्त महाधिवक्ता को 10 हजार रुपए विधिक

सलाह शुल्क मिलेगा। ड्राफ्टिंग और बहस से संबंधित शुल्क में भी संशोधन किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले को लंबे समय से शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहे सरकारी अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। यह फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर किया गया। मुख्यमंत्री से अधिवक्ताओं की मुलाकात में यह मुद्दा उठाया गया था।

दो बसों की टक्कर से 22 की मौत, 37 घायल

नियामे। दक्षिणी नाइजर में दो बसों की भिड़त में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गयी तथा 37 अन्य घायल हो गए। एजेंसी एएनपी ने देश के परिवहन मंत्रालय के हवाले से बताया कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में 17 सैनिक थे। रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना मदावा में हुई, जहां उसी नाम के शहर से आ रही एक बस और जिंदर शहर से मुख्य रूप से सैन्यकर्मियों को ले जा रही दूसरी बस के बीच टक्कर हो गई।

महाकाल के दर्शन कर लौट रहे वडोदरा के 6 युवकों की सड़क हादसे में मौत



धार। मध्यप्रदेश के धार जिले में बदनावर-उज्जैन फोरलेन पर ग्राम पंचकवासा के पास रविवार दोपहर करीब एक बजे हुए भीषण सड़क हादसे में गुजरात के वडोदरा से आए छह युवकों की मौत हो गई। सभी युवक उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के दर्शन कर मारुति ईको वैन से गुजरात लौट रहे थे। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लोहे के सामान से भरा एक ट्रॉला रॉन्ग साइड से अनियंत्रित गति

में उज्जैन की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही ईको वैन से उसकी आमने-सामने जोरदार भिड़त हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ईको वैन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही बदनावर थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा, तहसीलदार सुरेश नागर और एसडीएम प्रियंका मिमरोद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने वाहन का कांच तोड़कर कड़ी मशक्कत के बाद मृतकों के शवों और घायल युवक को बाहर निकाला। घायल युवक को एंबुलेंस की मदद से बदनावर सिविल अस्पताल भेजा गया। मृतकों के शवों का पंचनामा बनाकर सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर गुजरात में उनके परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। पुलिस ने फरार ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए फोरलेन पर यातायात प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुचारु कराया।

दिल्ली में भारी बारिश के बीच नाले

में बहा 18 वर्षीय युवक

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बाद दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मदनपुर



खादर इलाके में एक दुखद हादसे में 18 वर्षीय युवक उफनते नाले में बह गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात घटना के संबंध में दो पीसीआर कॉल मिली थीं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच के दौरान अली विहार की भीम कॉलोनी निवासी मनीष ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त अंकित (भीम कॉलोनी निवासी) नोएडा से लौट रहा था, तभी नाले के पास उसका पैर फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बचाव टीम और दिल्ली अग्निशमन सेवा के सहयोग से व्यापक खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। हालांकि, कड़ी मशक्कत के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका। इस बीच, पूर्वी दिल्ली से सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष महतोत्रा ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और भाजपा परिवार इस संकट की घड़ी में अंकित के परिजनों के साथ खड़ा है तथा शोकाकुल परिवार को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

सम्पादकीय

संसदीय-गतिरोध से नहीं चलेगा लोकतंत्र, संवाद ही है समाधान

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है। यही वह सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है जहां राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य से जुड़े विषयों पर गंभीर विमर्श होता है, सरकार जवाबदेह बनती है, विपक्ष जनभावनाओं को स्वर देता है और कानूनों के माध्यम से देश के विकास की दिशा तय होती है। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संसद संवाद और सहमति का मंच बनने के बजाय टकराव, आरोप-प्रत्यारोप, नारेबाजी और राजनीतिक हठधर्मिता का अखाड़ा बनती जा रही है। मानसून सत्र में जिस प्रकार लगातार गतिरोध बना हुआ है, उससे केवल संसदीय कार्यवाही ही बाधित नहीं हो रही, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा भी आहत हो रही है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए हुई बातचीत भी किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। यह स्थिति बताती है कि दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक आग्रहों में इतने उलझ गए हैं कि राष्ट्रहित पीछे छूट गया है। विपक्ष की ओर से यह शर्त रखी जा रही है कि जब तक कुछ विशेष मुद्दों पर सरकार सदन में बयान और चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, तब तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। दूसरी ओर सरकार भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर अडिग है। परिणाम यह है कि संसद का बहुमूल्य समय निरर्थक विवादों की भेंट चढ़ रहा है।लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति को अराजकता में बदल देना लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी है। सरकार को कठघरे में खड़ा करना विपक्ष का अधिकार है, परंतु संसद को ठप कर देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है। जब विरोध संसद को चलने ही न दे, तब वह लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दायित्वों की उपेक्षा बन जाता है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंताजनक प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है कि संसद सत्र प्रारंभ होने से पहले ऐसे मुद्दे राजनीतिक रूप से उछाले जाते हैं, जिनके आधार पर पूरे सत्र को बाधित किया जा सके। परिणामस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के पारित हो जाते हैं अथवा कई विधेयक लंबित रह जाते हैं। इससे सबसे अधिक नुकसान देश को होता है। संसद का प्रत्येक मिनट करोड़ों रुपये की सार्वजनिक धनराशि से संचालित होता है। यदि वह समय केवल शोर-शराबे और नारेबाजी में बीत जाए तो यह करदाताओं के धन और लोकतांत्रिक विश्वास-दोनों का अपमान है। लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है। महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक भारतीय राजनीति की श्रेष्ठ परंपरा संवाद, सहमति और संवेदनशीलता की रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने दुराग्रह छोड़कर संवाद की मेज पर बैठें। संसद की गरिमा इस बात में नहीं कि कौन किसे अधिक कठघरे में खड़ा करता है, बल्कि इस बात में है कि राष्ट्रहित के प्रश्नों पर कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है। विशेष रूप से कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल आंदोलन और विरोध का नाम नहीं है। विपक्ष की भूमिका सरकार को गिराने की नहीं, बल्कि लोकतंत्र को संभालने की होती है। यदि प्रत्येक मुद्दे पर संसद को बाधित करने की रणनीति अपनाई जाएगी तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि विपक्ष के पास वैकल्पिक नीति और दृष्टि का अभाव है। लोकतंत्र में जनता केवल विरोध नहीं, समाधान भी चाहती है। यदि विपक्ष स्वयं संवाद से दूरी बनाएगा तो ह्यसंवाद से समाधान का आदर्श केवल नारा बनकर रह जाएगा।सरकार की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत का अर्थ मनमानी नहीं होता। सरकार को भी विपक्ष की उचित मांगों को सुनना चाहिए और जहां संभव हो, सहमति का मार्ग निकालना चाहिए। संसद किसी एक दल की नहीं, पूरे राष्ट्र की संस्था है। इसलिए सरकार को भी संवेदनशीलता, धैर्य और व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देना होगा। किंतु यदि संवाद का प्रत्येक प्रयास केवल राजनीतिक शर्तों और हठधर्मिता में उलझ जाए तो समाधान की संभावनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता राजनीतिक परिपक्वता की है। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हर मुद्दे को चुनावी लाभ-हानि के चरम से देखा जा रहा है। संसद में बहस कम और राजनीतिक संदेश अधिक दिए जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को कमजोर करती है। संसद का उद्देश्य जनकल्याणकारी नीतियों पर विचार करना है, न कि चुनावी रणनीतियों का मंच बन जाना।

जयपुर में खराब हो चुकी 16 किंवल सोनपापड़ी मौके पर नष्ट

जयपुर। राजस्थान में संचालित शुद्ध आहारझमिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध सघन कार्रवाई में जयपुर में लगभग 1600 किलोग्राम बिना पैकेजिंग एवं मियाद



सुरक्षा अधिकारियों ने मेसर्स आनंद धाबास जयपुर स्थित सोनपापड़ी निर्माण इकाई पर कार्रवाई की।डॉ शुभमंगला ने बताया कि कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान में स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों में विभिन्न कमियां पाई गईं। टीम द्वारा सोनपापड़ी एवं बादाम कटिंग के एक-एक नमूने जांच के लिए गए।निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार सोहनपापड़ी पर पैकेजिंग तिथि एवं उपभोग की अंतिम तिथि अंकित नहीं पाई गई। खाद्य पदार्थों की अनिवार्य लेबलिंग संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए मौके पर उपलब्ध लगभग 1600 किलोग्राम सोहनपापड़ी को नष्ट कराया गया।निरीक्षण के दौरान पाई गई अन्य कमियों के संबंध में संबंधित प्रतिष्ठान को पृथक रूप से इम्पूवमेंट नोटिस भी जारी किया जा रहा है। जांच के लिए इसके नमूने लिए गए।

आबूरोड स्टेशन के पुनर्विकास और यात्री सुविधाओं का उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक ने लिया जायजा

आबूरोड। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने शनिवार को अजमेर मंडल के आबूरोड रेलवे स्टेशन एवं डीजल शोड का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा, मुख्य परियोजना प्रबंधक अनूप शर्मा सहित मुख्यालय एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव ने बताया कि महाप्रबंधक ने आबूरोड स्टेशन पर प्रस्तावित पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने स्टेशन के सकुलेंटिंग एरिया और पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यात्री सुविधाओं के तहत वेंटिंग हॉल, स्लीपर क्लास वेंटिंग हॉल, अपर क्लास वेंटिंग हॉल तथा एसी वेंटिंग लाउंज का निरीक्षण किया और यात्रियों के बैठने एवं विश्राम की व्यवस्थाओं की समीक्षा क

महाप्रबंधक ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और शौचालयों की स्वच्छता व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने साफ-सफाई के उच्च मानक बनाए रखने के निर्देश दिए। स्टेशन पर उपलब्ध ड्रिंकिंग वाटर बूथ सहित यात्रियों के लिए



शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया।प्लेटफॉर्म पर संचालित केटरिंग स्टॉल एवं आईआरसीटीसी रिफ्रेशमेंट रूम का निरीक्षण करते हुए महाप्रबंधक ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा निर्धारित उचित मूल्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।इसके बाद रिटायरिंग रूम की व्यवस्थाओं तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से आरपीएफ थाने का निरीक्षण किया गया। लोको पायलट एवं गाड़ों के विश्राम के लिए बनाए गए रनिंग रूम में उपलब्ध सुविधाओं,

भोजन व्यवस्था एवं लॉबी का निरीक्षण कर क़ू मेंबर्स की सुविधाओं में और सुधार के निर्देश दिए गए।स्टेशन निरीक्षण के बाद महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्टेशन विकास परियोजनाओं की प्रगति, यात्री सेवाओं के विस्तार, स्वच्छता और संरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।इसके पश्चात महाप्रबंधक ने आबूरोड स्थित डीजल शोड का दौरा किया। यहां उन्होंने लोको रखरखाव व्यवस्था, तकनीकी सुविधाओं तथा संरक्षा मानकों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के अस्तित्व को बताया अवैध

इस्लामाबाद। सऊदी अरब और तुर्की के साथ त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के अगले ही दिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इजरायल को 'पूरे मुस्लिम जगत के लिए खतरा बताते हुए उसके खिलाफ 'एकजुट सैन्य मोर्चा' बनाने का आह्वान किया।स्थानीय मीडिया से बातचीत में आसिफ ने कहा कि इजराइल के मुद्दे पर सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होना ही होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। इजराइल को अवैध देश करार देते हुए उन्होंने दावा किया कि इजराइल बाल्फोर घोषणापत्र की देन है, जिसे 1940 के दशक में एक अवैध राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया था। यह क्षेत्र के किसी भी देश के लिए सीधा खतरा बन सकता है।गौरतलब है कि 1917 में बाल्फोर घोषणापत्र जारी होने के समय इस क्षेत्र का आधिकारिक नाम फिलिस्तीन था। यह तब तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ब्रिटिश सरकार ने इसी क्षेत्र में यहूदियों



के लिए एक राष्ट्र बनाने का समर्थन किया था, जिसके तीन दशक बाद 1948 में इजराइल देश की नींव पड़ी।अतीत में भी इजराइल को पाकिस्तान मानवता के लिए अभिशाप और कैसर जैसा देश बता चुके आसिफ ने कहा कि 27 अक्टूबर को होने वाले चुनावों में अगर प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहू हार भी जाते हैं, तब भी इजराइल के अस्तित्व के खिलाफ उनका कड़ा

विरोध नहीं बदलेगा।

आसिफ ने कहा कि इजराइल में सत्ता में चाहे कोई भी आए, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हों या कोई अन्य नेता—उनके रवैये में फर्क केवल नाममात्र का होगा।उन्होंने दावा किया कि फिलिस्तीनियों के प्रति उनका नजरिया और उनकी इस्लाम-विरोधी मानसिकता खत्म नहीं होगी। वे मुस्लिम देशों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं। जब तक फिलिस्तीन मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक इस्लामी दुनिया को उनके खिलाफ एकजुट खड़े रहना होगा।

जेपी नड्डा एवं भजनलाल शर्मा ने 10 अत्याधुनिक रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहनों को दिखाई हरी झंडी

जयपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर में 10 नवीन अत्याधुनिक रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, सांसद मदन राठौड़ सहित मंत्रिपरिषद् के सदस्य, सांसद, विधायक और संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कुल 286 ब्लड बैंक संचालित हैं, जिनमें 66 राजकीय ब्लड बैंक हैं। प्रदेश में प्रतिवर्ष करीब 9 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है और स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के माध्यम से लगभग 5 लाख यूनिट रक्त एकत्र किया जाता है।नवीन रक्त संग्रहण



एवं परिवहन वाहनों के माध्यम से अब दूर-दराज के क्षेत्रों में भी सुविधाजनक रूप से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित हो सकेंगे तथा रक्त संग्रहण को बढ़ाया जा सकेगा।प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से इन वाहनों को राज्य के 10

राजकीय ब्लड बैंकों को आवंटित किया गया है।

इन वाहनों में 3 डोनर काउच, 2 ब्लड कलेक्शन मॉनिटर, ट्यूब सीलर, 200 यूनिट क्षमता वाला रेफ्रिजरेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डिजिटल थर्मामीटर तथा रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एलईडी टीवी एवं पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अलवर में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 49 लाख रुपए की साइबर ठगी

अलवर। राजस्थान में अलवर में शेयर बाजार में निवेश करके मोटा मुनाफा



कमाने का लालच देकर की गई 49 लाख 49 हजार 139 रुपए की साइबर ठगी के मामले में अलवर साइबर थाना पुलिस ने गुजरात से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने रविवार को बताया कि परिवादी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि पवन

ब्रोकरेज के मालिक पवन भाई और राहुल ने डीमैट खाता खुलवाकर शेयर बाजार में निवेश करने पर अच्छा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने निवेश के नाम पर उससे अलग-अलग तरीके से प्रलोभन देकर करीब 49 लाख 49 हजार रुपए की साइबर ठगी कर ली। पुलिस ने जांच के दौरान साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और उनमें हुए लेन-देन की जानकारी जुटाई तो सामने आया कि आरोपी कौशिक कुमार दर्जी (50) निवासी नवापुरा, थाना कालोल, जिला पंचमहल, गुजरात के बैंक खाते में साइबर ठगी की 32 लाख 80 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस पहले ही मयूर कुमार गुनवंत भाई प्रजापति (28) निवासी विसनगर, जिला महसाणा गुजरात को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार मयूर कुमार के बैंक खाते में भी ठगी की 16 लाख 69 हजार 139 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी।

शादीशुदा महिला से इंस्टाग्राम पर की दोस्ती, रेप करने के बाद वायरल किए फोटो-वीडियो

भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के मेहगांव अनुभाग के गोरमी थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम के जरिए एक विवाहित महिला से दोस्ती करने के बाद कथित रूप से जबरन शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील फोटो-वीडियो प्रसारित करने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने राजस्थान निवासी आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी, गाली-गलौज और आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार महिला ने शिकायत में बताया कि करीब पांच महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी आरोपी युवक से बातचीत शुरू हुई थी। बाद में आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लेकर अलग-अलग नंबरों से फोन पर बातचीत करना शुरू किया। कुछ समय बाद वह महिला से मिलने गोरमी क्षेत्र में आया। शिकायत के मुताबिक करीब 15 दिन बाद आरोपी रात में महिला के घर के बाहर पहुंचा और फोन कर उसे बाहर बुलाया। आरोप है कि इसके बाद वह जबरन घर में घुस गया और धमकी देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आरोपी ने महिला के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर फोटो-वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। इसके बाद वह दो बार और घर आया तथा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला द्वारा आगे मिलने और बातचीत से इनकार करने पर आरोपी ने फोटो-वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। कुछ दिन बाद आरोपी ने कथित रूप से महिला के अश्लील फोटो और वीडियो उसके रिश्तेदारों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज दिए। महिला के पति को इसकी जानकारी मिलने के बाद महिला ने आरोपी से फोन पर फोटो-वीडियो प्रसारित करने का कारण पूछा। शिकायत के अनुसार आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए महिला, उसके पति और बेटे को जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(1), 64(2)(एम), 332(बी), 296(बी), 351(3) तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की भूमिका, सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए फोटो-वीडियो और संबंधित डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है।

नशे में था पायलट : रिपोर्ट, हवा में 300 फीट गिरा था एयर इंडिया का विमान

नई दिल्ली। एयर इंडिया का जो विमान गत 04 अगस्त को हवा में अचानक 300 फीट नीचे गिर गया था, उसका मुख्य पायलट नशीले पदार्थ के सेवन के लिए किए गए स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार को बताया कि घटना के बाद लैंडिंग के उपरांत दोनों पायलटों की स्क्रीनिंग की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं वे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले किसी नशीले पदार्थ या दवा के प्रभाव में तो नहीं थे। मुख्य पायलट के जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसका सैंपल प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है जिससे इसकी अंतिम पुष्टि हो सकेगी। प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 2379 थाईलैंड के फ्रुकेट से दिल्ली आ रही थी। दिल्ली पहुंचने से कुछ पहले हवा में विमान अचानक 300 फीट नीचे गिर गया था। घटना में 13 यात्री और चालक दल के चार सदस्य घायल हो गए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह एयरबस कंपनी का ए320 विमान (पंजीकरण संख्या वीटी-ईएक्सओ) था। उड़ान में तीन शिशुओं समेत 137 यात्री और दो पायलट समेत चालक दल के आठ सदस्य थे। मंत्रालय ने बताया है कि इस हादसे को गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) हादसे की जांच कर रहा है। विमान का ब्लैक बॉक्स (फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। बाद में विमान की दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग हुई थी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दोनों पायलटों को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने आतंकी संगठनों से जुड़ी 114 पत्रिकाओं, साहित्य पर लगाया प्रतिबंध

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कट्टरपंथ, हिंसक उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देते हुए आतंकवादी संगठनों से कथित रूप से जुड़ी 114 पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य गृह विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 98(1) के तहत राजपत्र अधिसूचना जारी कर सूचीबद्ध सामग्री को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है और इसकी भौतिक तथा डिजिटल प्रतियों को जब्त करने का आदेश दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस), खुफिया एजेंसियों और साइबर निगरानी इकाइयों से मिली जानकारीयों के आधार पर लिया गया है। गृह विभाग ने कहा कि इन प्रकाशनों में हिंसा और उग्रवादी गतिविधियों का समर्थन किया गया है। इनमें कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और आतंकवादी संगठनों में भर्ती के लिए प्रेरित करने वाली सामग्री पाई गई। विभाग ने इसे देश की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक



व्यवस्था के लिए खतरा बताया है।

प्रतिबंधित सूची में वॉयस ऑफ खुरासान मैगजीन, द रेवोल्यूशनरी रिसर्जेंस, कश्मीर किफाह रेजिलिएंस एंड करेज, द सोल ऑफ रेजिस्टेंस और नवाई गजावा-ए-हिंद आदि शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार ये प्रकाशन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट और अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए थे।

यह आदेश भौतिक और डिजिटल दोनों प्रारूपों में सूचीबद्ध सामग्री के प्रकाशन, प्रसार, वितरण, बिक्री, प्रदर्शन और अपने पास रखने पर प्रतिबंध लगाता

विजय की पत्नी संगीता ने तलाक की याचिका वापस ली, कोर्ट ने मामला बंद किया

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिझना वेटी कझगम (टीवीके) के संस्थापक सी चंद्रशेखर विजय की पत्नी संगीता ने उनके खिलाफ दायर तलाक की याचिका शुक्रवार को वापस ले ली। इसके बाद चंगलपट्ट परिवार न्यायालय ने मामले को बंद कर दिया। विजय और संगीता दोनों वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत के सामने पेश हुए। इसमें संगीता ने कहा कि उन्होंने तलाक की याचिका वापस लेने का फैसला किया है। इसे स्वीकार करते हुए चंगलपट्ट परिवार अदालत ने मामला बंद कर दिया। 15 जून को हुई पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई आज सात अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी। संगीता ने एक अभिनेत्री के साथ अवैध संबंधों का आरोप लगाते



हुए शादी रद्द करने की मांग की थी। उस दिन सुनवाई स्थगित इसलिए करनी पड़ी थी, क्योंकि जब चंगलपट्ट परिवार अदालत की न्यायधीन न्यायमूर्ति सुजाता ने मामले की सुनवाई शुरू की तो विजय और संगीता दोनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश नहीं हुए थे। आज

जब दोनों अदालत के सामने पेश हुए तो संगीता ने तलाक की याचिका वापस ले ली। इसके बाद अदालत ने मामला बंद कर दिया। दोनों की शादी को 27 वर्ष हो चुके हैं। संगीता ने 24 फरवरी को चंगलपट्ट जिला प्रधान सत्र अदालत में बेवफाई के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी। बाद में इस मामले को चंगलपट्ट परिवार न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

सवाई माधोपुर के आबादी क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत

सवाई माधोपुर। राजस्थान में सवाई माधोपुर के पुराने शहर से आस-पास के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में भय बना हुआ है। तेंदुए द्वारा रामलीला मैदान की पहाड़ी पर एक गाय के शिकार के बाद स्थानीय लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर हैं। वन विभाग ने रविवार को बताया कि वनकर्मियों का दल मौके पर पहुंच गया और आसपास के क्षेत्र का जायजा लेते हुए तेंदुए की गतिविधियों वाले स्थानों का निरीक्षण



कर रहे हैं और आसपास के क्षेत्र से उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र पहाड़ियों से सटा हुआ है, इसलिए यहां तेंदुए के आने-जाने की आशंका बनी रहती है।

अब लोग अकेले बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से किसी अप्रिय घटना से पहले ही मौके पर पिंजरा लगाकर उसे पकड़ने की मांग की है।

Golden Spike Concludes Debt Settlement Transaction

Vancouver, British Columbia—(Newsfile Corp. — August 7, 2026) – Golden Spike Resources Corp. (CSE: GLDS) (OTCQB: GSPRF) (FSE: L5Y) (“Golden Spike” or the “Company”) Further to its announcement on July 30, 2026, the Company has issued 1,720,000 common shares (each, a “Share”) at \$0.05 per Share as settlement of indebtedness with three directors and the corporate secretary of the Company totaling CAD\$86,000 (the “Transaction”). The Company determined to satisfy this outstanding indebtedness with Shares to preserve its cash for operations. All Shares issued pursuant to the Transaction will be subject to a four-month and one-day hold peri-



od expiring on December 8, 2026.

About Golden Spike:-Golden Spike Resources Corp. (CSE: GLDS) (OTCQB: GSPRF) (FSE: L5Y) is a Canadian mineral exploration company focused on identifying, acquiring and unlocking value in mineral opportunities in Canada and other low-risk jurisdictions. The Company currently holds 100% interest in the

5,175-hectare Gregory River Property in Newfoundland, strategically centered over an approximate 11-kilometre-long stretch of the Gregory River VMS-belt, a north-northeast trending corridor of very prospective ground with potential to host Cyprus-type polymetallic VMS deposits. In addition, the Property hosts a cluster of historically explored, high-grade, copper ±gold-zinc vein structures and breccia hosted stockworks. Golden Spike Resources remains dedicated to sustainable exploration practices and continues to collaborate with local communities, consultants, and stakeholders as it progresses its exploration initiatives.

आनासागर बारादरी में डुप्लीकेट टिकट से वसूली का आरोप, पीएमओ को भेजी शिकायत

अजमेर। आनासागर बारादरी में पर्यटकों और जायरीन को जारी किए जाने वाले प्रवेश टिकटों में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ निवासी पर्यटक अर्जुन कुमार चौहान ने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), पुरातत्व विभाग, संस्कृति मंत्रालय और एसआई को शिकायत भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बारादरी में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच पर्यटकों की भीड़ अधिक होने के दौरान असली टिकट के साथ कथित रूप से डुप्लीकेट टिकट भी जारी किए जाते हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने प्रवेश द्वार से प्राप्त कई टिकट एकत्र किए हैं और इन्हें शिकायत के साथ संलग्न कर संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया है।



शिकायत में टिकट व्यवस्था की जांच कराने तथा कथित अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बारादरी का संचालन जोधपुर मंडल के अधीन बताया गया है। मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने संबंधित विभागों से पूरे प्रकरण की जांच कर टिकट बिक्री और वसूली की व्यवस्था की जांच करने की मांग की है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, जांच एजेंसियों की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पैकिंग-लेबलिंग में अनियमितताओं पर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 फर्मों पर 75 हजार रुपए का जुमाना



अजमेर। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जिले में विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियमों के तहत चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के दौरान तीन दिनों में आठ फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 75 हजार रुपए का जुमाना लगाया गया। कार्रवाई पैकिंग, लेबलिंग तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में की गई। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर विभागीय जांच दल ने जिलेभर में विशेष अभियान चलाया। जांच के दौरान नवीन पैकिंग एवं लेबलिंग नियमों का पालन नहीं करने तथा उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित फर्मों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। सहायक नियंत्रक भावना दयाल तथा विधिक माप विज्ञान अधिकारी महिपाल सिंह राठौड़ और महेन्द्र चौधरी ने केसरीमल मानकचंद राठी (मदनगंज), पल्प पैक इंडिया (खोड़ा



गणेश रोड), शिवम ट्रेडर्स (साहू मसाला) मेन बाजार किशनगढ़, टीआर प्रोडक्ट्स (सोमलपुर), जैन नमकीन (बकरा मंडी रोड, सोमलपुर), आरके प्रोडक्ट्स (सोमलपुर), सतगुरु फूड प्रोडक्ट (पालरा, अजमेर) तथा सुरक्षा पेंट (पालरा, अजमेर) का निरीक्षण किया।

जांच में कई प्रतिष्ठानों पर असत्यापित नाप-तौल उपकरणों का उपयोग, उत्पादों पर निर्माण एवं समाप्ति तिथि अंकित नहीं होना तथा पैकेजिंग पर नियमानुसार आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराना पाया गया। इन अनियमितताओं के चलते सभी आठ फर्मों पर कुल 75 हजार रुपए का जुमाना लगाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बाजार में माप-तौल की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सेंट्रल जेल अजमेर का जेलर सद्दाम हुसैन निलंबित खुद के मोबाइल से कराता था कैदियों से बात

सैयद तौसीफ चिश्ती भरतपुर सेंट्रल जेल

अजमेर। 1992 के बहुचर्चित ब्लैकमेलिंग कांड के मास्टरमाइंड नफीस चिश्ती की अजमेर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों से वीडियो कॉल पर बात करवाने के मामले में केंद्रीय कारागृह अजमेर के जेलर सद्दाम हुसैन पर गाज गिरी है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से आदेश जारी कर

बंदियों के साथ निषिद्ध सामग्री का उपयोग करने तथा कारागृह के बाहर के व्यक्तियों से संपर्क रखने के आरोपों के जेलर को निलंबित कर दिया है।

महानिदेशक (कारागार) अशोक राठौड़ ने राजस्थान सिविल सेवाएं नियम, 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार इन आरोपों के संबंध में विभागीय जांच प्रस्तावित है। जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के



उद्देश्य से निलंबन अवधि के दौरान कारापाल सद्दाम हुसैन का मुख्यालय केंद्रीय कारागृह श्रीगंगानगर निर्धारित किया गया है। इस प्रकरण में आगे की

कार्रवाई के तहत केंद्रीय कारागृह अजमेर में निरुद्ध बंदी सैयद तौसीफ चिश्ती को केंद्रीय कारागृह भरतपुर स्थानांतरित किया गया है वहीं प्रकरण के संबंध में पुलिस थाना सिविल लाइन्स अजमेर में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। जेलर सद्दाम हुसैन और वीडियो कॉल पर बात करने वाले सभी 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करने वाले एक कैदी तौसीफ चिश्ती उर्फ चिंकी को सेंट्रल जेल से भरतपुर शिफ्ट कर दिया

है। गौरतलब है कि जेलर सद्दाम हुसैन ने अपने मोबाइल से नफीस चिश्ती को वीडियो कॉल किया और जेल में बंद तीन सजायाफ्ता कैदियों तारिक चिश्ती, उसके बेटे तौसीफ चिश्ती और भांजे फखर जमाली से बात करवाई। वायरल हुए वीडियो कॉल में दिख रहे जेलर सद्दाम हुसैन, नफीस चिश्ती, तारिक चिश्ती, तौसीफ चिश्ती और फखर जमाली के खिलाफ अजमेर के सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है।

करौली में टैम्पो पलटने से महिला श्रमिकों सहित 16 लोग घायल

करौली। राजस्थान में करौली जिले के हिंडौन मार्ग पर पांचना पुलिस चौकी क्षेत्र में शनिवार को देर शाम मजदूरों से भरे एक टैम्पो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 16 लोग घायल हो

गए। जिनमें 15 महिला श्रमिकों और टैम्पो चालक शामिल है।

पुलिस ने रविवार को बताया कि सभी महिला श्रमिक निमार्णाधीन भवन में काम करने के बाद टैम्पो से शाम को अपने गांव

गुडला लौट रहीं थी। अचानक टैम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों की मदद से सभी घायलों को करौली अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Cloud Hosting केवल Y2KSolution के साथ क्योंकि हम देने वाले हैं आपको 24 घंटे Support

+91-9351657167 y2ksolution.com

समाचार भेजने और विज्ञापन हेतु व किसी अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-

मो. +91 9887907277, 7737385114

Email ID **sabgurunews@gmail.com**

अजमेर-6/12बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पंचशील

अजमेर 305001, राज. जयपुर-D8, गोवर्धन कॉलोनी मोहन मार्ग, विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के पास जयपुर 302019, राज.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन : 6 दिसंबर को मथुरा में कारसेवा करने का ऐलान

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर साधु संतों ने रविवार को प्रस्तावित कार सेवा को फिलहाल टाल दिया और चित्रगुप्त पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने साधु संतों की मौजूदगी में घण्टे घड़ियाल और शंखनाथ के साथ 6 दिसंबर को मथुरा में कारसेवा करने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छह दिसंबर से पहले वह स्वयं देश भर में घूम घूम कर साधु संतों अखाड़ा परिषद के महंत और महामंडलेश्वरों से मुलाकात करेंगे और उन्हें मथुरा पहुंचकर कार सेवा में शामिल होने का आह्वान करेंगे।

स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने 6 दिसंबर से पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को भोग लगाने की अनुमति न्यायालय से मांगी है। उन्होंने कहा कि वह भगवान श्रीकृष्ण को जन्माष्टमी के दिन भोग लगाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने अपने मांग पत्र में वरशिप एक्ट को खत्म करने की भी मांग रखी है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई फास्टट्रेक अदालत में करने की मांग की बात भी रखी है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर सच्चिदानंद महाराज ने पूर्व में 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अयोध्या की तर्ज पर कारसेवा करने की घोषणा की थी। हालांकि स्थानीय प्रशासन के साथ हुई वार्ता और जारी कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को देखते हुए अखाड़ा परिषद व वरिष्ठ संतो के निर्णय के बाद से फिलहाल इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया है। रविवार सुबह छटीकरा गोवर्धन मार्ग स्थित जुल्हेदी चित्रगुप्त आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा के समापन के बाद विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने साधु संतों की उपस्थिति में विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्रीकृष्ण जन्म भूमि मुक्ति की प्रार्थना की। उन्होंने कहा आश्रम में यह हवन पूजन तब तक रोजाना अनवरत चलता रहेगा जब तक की बाल गोपाल श्री कृष्ण लाल अपने मूल गर्भ ग्रह में पूर्ण सम्मान के साथ विराजमान नहीं हो जाते। रविवार सुबह कारसेवा की पूर्व घोषणा के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। सुबह के समय कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य गेट पर कारसेवा के लिए पहुंचे थे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें हिरासत में लेकर समझा बुझाकर वापस करा दिया।